

राजस्थान सरकार
आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांक:-एफ 5()/एसीटीएडी/माडा/बजट/275(1)/जोधपुर/2019-20/ दि.

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं पदेन परियोजना अधिकारी (माडा)
जिला परिषद, जोधपुर।

विषय:- ग्राम पंचायत दयाकोर में पेयजल योजना निर्माण कार्य की वित्तीय स्वीकृति।

संदर्भ:- आपका पत्रांक जिपजो/माडा/2019-20/5573 दिनांक 11.09.2019 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय पत्रांक 6145-52 दिनांक 30.01.2018 द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एवं पदेन परियोजना अधिकारी (माडा), जिला परिषद, जोधपुर, से निम्नांकित कार्यों की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हुई है। प्राप्त तकनीकी स्वीकृति के आधार पर कॉलम संख्या-2 में वर्णित कार्यों हेतु कॉलम संख्या-7 में अंकित राशि की वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है :-

कार्यकारी एजेन्सी- ग्राम पंचायत

(राशि लाखों में)

क.स.	कार्य का नाम	ग्रा.प./पं. स.	प्रशासनिक स्वीकृति		तकनीकी स्वीकृति	
			क्र/दि	राशि	क्र/दि.	राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	भीलों की बस्ती में जीएलआर मय पाईप लाईन कार्य, ग्रा. दयाकोर	दयाकोर/ लोहावट	6145-52 30.01.2018	05.00	JTA/ lohavat 50/ 12.06.19	05.00
2	भीलों की बस्ती में सार्वजनिक प्याउ निर्माण कार्य, ग्रा. दयाकोर	दयाकोर/ लोहावट	6145-52 30.01.2018	05.00	JTA/ lohavat 49/ 12.06.19	05.00
	योग			10.00		10.00

उपरोक्त कार्य पर राशि का व्यय संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या-18/2018-19 में पेयजल योजना हेतु प्राप्त राशि में से होगा। यह राशि आयुक्तालय के पी.डी. खाते में उपलब्ध है।

कार्यों के संपादन में निम्नलिखित शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावे-

- यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावे। दोहरा व्यय के लिए कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
- समय पर निविदाएं आमंत्रित करवाई जावे। कार्य में विलम्ब के कारण यदि लागत में वृद्धि होती है तो कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन 2013 तथा सामान्य लेखा एवं वित्तीय नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का संपादन गुणवत्तापूर्वक किया जावे।



कृ.प.उ.

राजस्थान सरकार
आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

4. निर्माण पश्चात योजना का संचालन एवं संधारण व्यवस्था सुनिश्चित करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जावे। पेयजल योजना निर्माण पश्चात 7 वर्ष तक संधारण एवं संचालन कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा। योजना से अधिकांश जनजाति परिवार लाभान्वित हो।
5. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यों पर ही तकनीकी स्वीकृति के अनुसार जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के तकनीकी अधिकारियों की देख-रेख में किया जावे।
6. ट्यूबवेल वेधन असफल होने पर अन्य किसी भी प्रकार का अग्रिम कार्य/व्यय नहीं किया जावे।
7. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy में comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।
8. स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर तकमीने में कार्य स्थल का Longitude & latitude अंकित की जावे।
9. योजना में भू-जल वैज्ञानिक की रिपोर्ट प्राप्त कर नलकूप वैधन किया जावे।
10. कार्य पूर्ण होने के पश्चात यदि कोई बचत रहती है तो कार्य के उपयोगिता व कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ बचत राशि पुनः जनजाति विभाग को लौटाई जावे।

भवदीया,

sd

(शिवांगी स्वर्णकार)

आयुक्त

क्रमांक:-एफ 5()/एसीटीएंडी/माडा/बजट/275(1)/जोधपुर/2019-20/43222-32 दि. 26.11.18

प्रतिलिपी :-सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, जोधपुर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् (ग्रा.वि.प्र.) जोधपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि संविधान की धारा 275 (1) अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या 18/2018-19 द्वारा पेयजल योजना हेतु प्राप्त राशि में से जिला परिषद्, जोधपुर को राशि 10.00 लाख ₹ हस्तान्तरित करावे।
7. निदेशक, मोनिटरिंग/कम्प्यूटर शाखा/अभियांत्रिकी शाखा कार्यालय हाजा।
8. विकास अधिकारी, पंचायत समिति लोहावट, जिला जोधपुर।
9. गार्ड फाईल।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर (राज.)